



कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर संगोष्ठी का आयोजन किया

Posted On: 19 MAY 2017 7:08PM by PIB Delhi

केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन को लेकर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हुए। संगोष्ठी का शुभारंभ केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री राधा कृष्ण माथुर के सम्बोधन के साथ हुआ। श्री माथुर ने पिछले कुछ सालों के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला और आयोग में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और उसका सदुपयोग करने की दिशा में कार्य करने के बारे में भी बताया।

सूचना आयुक्त प्रो. एम. श्रीधर आचार्यलु ने अपने सम्बोधन में गिरीश आर देशपांडे व अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए सार्वजनिक कर्मियों की गोपनीयता के दायरे पर विस्तार से चर्चा की। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के निदेशक श्री संजय हजारीका ने 'अधिक प्रोफेशनल पत्रकारिता के एक हथियार के तौर पर आरटीआई' से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुश्री अंजलि ने आरटीआई कानून से जुड़े विभिन्न फैसलों के बारे में जानकारी दी। सुश्री अमृता जोहरी ने 'आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय आकलन' विषय पर संबोधित किया। आरटीआई कार्यकर्ता श्री एस. सी. अग्रवाल ने अपने आवेदकों द्वारा किए जाने वाले आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में अनुभव के आधार पर विस्तार से जानकारी दी। सीएचआरआई के श्री वेंकटेश नायक ने आरटीआई न्यायशास्त्र में कुछ विरोधात्मक घटनाओं पर प्रकाश डाला। महिति अधिकार गुजरात पहल की सुश्री पंक्ति जोग ने आरटीआई के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला।

श्री बी. एच. वीरेश ने कर्नाटक में टिकट और पंजीकरण विभाग में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महिथि हक्कु अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में संगोष्ठी में मौजूद लोगों को बताया। यूपी स्टेट रिसॉर्स पर्सन (आरटीआई) के श्री राजेश मेहतानी ने उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में हुए विकास पर प्रकाश डाला। बीएसएनएल के श्री दीपक सिंह ने आरटीआई अधिनियम की धारा - 24 में संशोधन के मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया। वाईएसएचएडी की एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री दीपा सादेकर देशपांडे ने महाराष्ट्र में आरटीआई अधिनियम से जुड़ी कुछ सफलतम घटनाओं एवं कहानियों पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी का समापन सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन आज़ाद के संबोधन के साथ हुआ।

वीके/प्रवीन/वाईबी- 1416

(Release ID: 1490330) Visitor Counter : 14

